



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015 वैशाख 18, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, रूपेश श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री राजराजेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने पूरे नाम रूपेश मोहन श्रीवास्तव के मध्य नाम मोहन को हटा दिया है।

पिछले कई वर्षों से मैं, रूपेश मोहन के स्थान पर रूपेश श्रीवास्तव ही अंकित कर रहा हूँ, अतः भविष्य में मुझे रूपेश श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना जाये।

पुराना नाम :

( रूपेश मोहन श्रीवास्तव )

(47-बी.)

नया नाम :

( रूपेश श्रीवास्तव )

सूबे की गोठ लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

#### CHANGE OF NAME

I, SANJAY here by declare that I have change my name as SANJAY TICHKULE So, from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :

( SANJAY )

(48-B.)

New Name :

( SANJAY TICHKULE )

Add—78, Rama Colony, Arya Samaj  
School Ke Pichhe, Khandwa (M.P.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम घनश्याम आर्य था। अतः अब मैंने अपना नाम बदलकर आर्यन आर्य रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे आर्यन आर्य के नाम से ही जाना या पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( घनश्याम आर्य )

(51-बी.)

नया नाम :

( आर्यन आर्य )

पुत्र श्री रामस्वरूप आर्य,  
निवासी-मुकितनाद नगर, फक्कड़, चौराहा,  
वार्ड क्रमांक 13, श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स प्रोग्रेसिव एसोसिएट्स, पता-आर-54, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) जो कि रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज म.प्र. पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00142/03, दिनांक 19-12-2003 पर पंजीयत फर्म है, जिसका गठन भागीदार श्री अब्राहम कुरविल्लाह पुत्र श्री के. सी. कुरविल्लाह एवं श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री एस. के. शर्मा की भागीदारी में किया गया था। दिनांक 20-03-2011 को श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री एस. के. शर्मा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये थे एवं 20-03-2011 से उनके स्थान पर शरली अब्राहम पत्नी श्री अब्राहम कुरविल्लाह भागीदार हो गई थीं।

इसके पश्चात् दिनांक 10-03-2013 को श्रीमती शरली अब्राहम पत्नी श्री अब्राहम कुरविल्लाह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गई है एवं उसी दिनांक 10-03-2013 को नवजीवन मेगावेन्चर्स प्रा. लि. (रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ गवालियर के पंजीयन क्रमांक U40100MP2009 PTC021799 (2009-10), दिनांक 06-04-2009 पर पंजीयत कम्पनी है) ने भागीदार के रूप में प्रवेश कर लिया है। अतः वर्तमान में फर्म श्री अब्राहम कुरविल्लाह एवं नवजीवन मेगावेन्चर्स प्रा. लि. की भागीदारी में संचालित की जा रही है।

फर्म 15/12/2003 से 20/03/2011 तक ए-54, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल में स्थित थी, दिनांक 20/03/2011 से 10/03/2013 तक फर्म एम-413, अरविन्द विहार बागमुगालिया, भोपाल में स्थित रही। अतः दिनांक 10/03/ 2013 से फर्म 157, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल पर स्थित है।

प्रदीप कुमार शर्मा,

(अधिवक्ता)

ए-48, डॉ. अच्छेडकर कॉलोनी,

ओल्ड सुभाष नगर भोपाल-462023.

(49-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म के अरिहंत बिल्डर्स बाहुबली कॉलोनी, सागर पं. क्र. 06/09/01/00075/12, दिनांक 13-09-2012 पर पंजीकृत हैं। उक्त दर्ज फर्म से पार्टनर श्री सतीष मोदी वल्द स्व. ताराचंद मोदी उम्र 50 वर्ष, निवासी-बाहुबली कॉलोनी, सागर, दिनांक 16-01-2014 से अलग हो चुके हैं। उनके स्थान पर उसी दिनांक से श्री अरिहंत गोयल पिता श्री ऋषभ कुमार जैन, उम्र 23 वर्ष, निवासी बाहुबली कॉलोनी, सागर, फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हो गए हैं। उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो फर्म को 15 दिवस के अन्दर सूचित करें।

भवदीय

अरिहंत बिल्डर्स,

प्रदीप कुमार जैन,

(पार्टनर)

(50-बी.)

### विविध

#### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा**

प्र. क्र...../बी-113(1)/2014-15.

जारी, दिनांक 27 मार्च, 2014

#### प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास

नियम 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि आवेदक पं. श्री कैलाशचंद्र पिता पं. श्री शिवनारायण उर्फ सोहनलाल शर्मा, निवासी-13/1, सदर बाजार, इंदौर, तहसील व जिला इन्दौर, अध्यक्ष एवं प्रबंध ट्रस्टी श्रावणीय आद्य गौड, सनाद्य ब्राह्मण समाज अखाडा न्यास ओंकारेश्वर न्यास, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा अनुसूची में दर्शित सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 08 मई, 2015 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से

मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

### अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम	श्रावणीय आद्य गौड, सनाद्य ब्राह्मण समाज अखाडा न्यास ओंकारेश्वर न्यास, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.
पता	श्रावणीय आद्य गौड, सनाद्य ब्राह्मण समाज अखाडा न्यास ओंकारेश्वर, मंदिर के पीछे, बिसल्या घाट, ओमकारेश्वर, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा
चल सम्पत्ति	निरंक.
अचल सम्पत्ति	3,00,000/- (तीन लाख रुपये नगद).

बी. कार्तिकेयन,

(256) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट

रा. प्र. क्र.02/बी-113 वर्ष 2013-14. बालाघाट, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 मौजा बालाघाट, प.ह.नं. 13/2.

क्र./286/प्रस्तुत्कार-1/2014.—यहकि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता, अध्यक्ष श्री जमीर खान “फैजान ए गरीब नवाज कमेटी” बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-30 की धारा-4) के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 13 मई, 2015 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प.ह.न.	अचल सम्पत्ति	विवरण
ग्राम बालाघाट	13/2	ख. नं. 267/2 क/ 21ग रकबा 0.018	अध्यक्ष श्री जमीर खान फैजान ए गरीब नमाज कमेटी बालाघाट म.प्र.

आज दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित से जारी किया गया।

(255) डी. एस. परस्ते,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, होशंगाबाद

प्र. क्र. /बी-113(1)/2014-15.

### फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1963 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक “दक्षिणेश्वर माता महाकाली सार्वजनिक न्यास सतरस्ता होशंगाबाद” द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	“दक्षिणेश्वर माता महाकाली सार्वजनिक न्यास सतरस्ता होशंगाबाद”
पता	दक्षिणेश्वर माँ काली मंदिर सतरस्ता होशंगाबाद.
अचल सम्पत्ति	निरंक
चल सम्पत्ति	पूजन हेतु वर्तन, मंदिर के घण्टे, अलमारी, लकड़ी का तखत, चांदी के छत्र (2).

आज दिनांक 13 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया।

रितु चौहान,  
पंजीयक.

(257)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पेटलाबद, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) एवं 5(1) के अंतर्गत]

अध्यक्ष श्री जैन तैरापंथ संस्था सारंगी, तहसील पेटलाबद, द्वारा श्री जैन श्वेताम्बर तैरापंथ ट्रस्ट पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, ट्रस्ट के नाम से चल सम्पत्ति-निरंक एवं अचल सम्पत्ति ग्राम सारंगी प. ह. नं. 16 में भूखण्ड रक्खा 1905 वर्गफिट है।

श्री जैन श्वेताम्बर तैरापंथ ट्रस्ट पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखित में उद्घोषणा प्रकाशन के एक माह के भीतर दिनांक 20 मई, 2014 को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या मुख्यार के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। मियाद बाद प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

एन. एस. राजावत,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(258)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 16 फरवरी, 2013

#### संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/474.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2421, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी संस्था अनभौरा का परिसमापक श्री ए. के. पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री ए. के. पाराशर, के स्थान पर श्री डॉ. के. मडोइया, अंकेक्षण अधिकारी को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(259)

#### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

क्र./परि./2015/850.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1433, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बिजरौनी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति

क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बिजरौनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 491, दिनांक 19 अप्रैल, 2004 है को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(259-A)

एस. के. सिंह,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी

डिण्डोरी, दिनांक 25 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 के अन्तर्गत]

क्र./सपंडि/2014/152.—आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., औरई, पंजीयन क्रमांक 428, दिनांक 26 मार्च, 1984 विकासखण्ड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./408, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., औरई का पंजीयन निरस्त करता हूँ उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 25 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(260)

जी. पी. कन्ड्रा,  
सहायक पंजीयक.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/78, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार रेदास चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1092, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “‘डी’” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेदास चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/123, धार, दिनांक 27 जनवरी, 2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारी

प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., धार, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 19 अगस्त, 1964 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., धार, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-A)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/88, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार माँ नर्मदा सामुहिक उद्वहन सिचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 06 जून, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा सामुहिक उद्वहन सिचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-B)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/79, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार हरिओम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरी, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1239, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिओम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरी, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-C)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/82, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 14 मार्च, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(261-D)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/80, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द, विकासखण्ड नालछा, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1237, दिनांक 12 जुलाई, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द, विकासखण्ड नालछा, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(261-E)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1831, धार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के अनुसार जय दुर्गा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 03 अप्रैल, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय दुर्गा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(261-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/81, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार धाकड़ कृषि उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., राजोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 09 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धाकड़ कृषि उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., राजोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/85, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार जनसेवक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बगड़ी, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1038, दिनांक 23 जून, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसेवक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बगड़ी, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/93, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सराय, विकासखण्ड नालछा, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 है को, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सराय, विकासखण्ड नालछा, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-I)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/89, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोधवाडा, विकासखण्ड तिरला, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1236, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोधवाडा, विकासखण्ड तिरला, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-J)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/91, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बाकानेर, विकासखण्ड उमरबन, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 647, दिनांक 15 मार्च, 1985 है को, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बाकानेर, विकासखण्ड उमरबन, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-K)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/87, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार स्वास्तिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 12 जून, 2009 है को, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था की ओर से जवाब प्राप्त संस्था अध्यक्ष द्वारा जवाब में संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाने हेतु लिखा है। इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल; दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्तिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-L)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/92, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार माँ शारदा रेडिमेड सिलाई वस्त्रोद्योग एवं गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, विकासखण्ड नालछा, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 20 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था। नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है। संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शारदा रेडिमेड सिलाई वस्त्रोद्योग एवं गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, विकासखण्ड नालछा, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-M)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1292 धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दाबड़, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1130, दिनांक 29 दिसम्बर, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दाबड़, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(261-N)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगड़ीपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक-996, दिनांक 29 अक्टूबर, 1996 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/2205, धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी तथा आदेश क्र./परि./13/1145, दिनांक 14 अगस्त, 2013 से श्री स्वरूप माधवाचार्य, ब. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा समिति को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर सदस्यों द्वारा दुग्ध प्रदाय हेतु सक्षम ईकाई के रूप में कार्य कर सकती है, इस हेतु संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगड़ीपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निमानुसार एक अस्थाई कामकाज कमेटी 03 माह के लिए नियुक्त करता हूँ :—

क्र.	नाम	पद
1	2	3
1.	श्रीमती कलाबाई-नवलचंद	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मोतीबाई-गणेश	उपाध्यक्ष

1	2	3
3.	श्रीमती उषाबाई-अनोकचंद	संचालक
4.	श्रीमती लीलाबाई-भगवान	संचालक
5.	श्रीमती बसुबाई-विश्वाम	संचालक
6.	श्रीमती प्रमीलाबाई-रमेश	संचालक
7.	श्रीमती कलाबाई-धनालाल	संचालक
8.	श्रीमती कमलाबाई-कन्हैयालाल	संचालक
9.	श्रीमती लक्ष्मीबाई-देवचंद	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-रजिस्ट्रार।

(261-O)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/433.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/755, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा श्रीराम बीज उत्पादक क्रय-विक्रय बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3010, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये श्रीराम बीज उत्पादक क्रय-विक्रय बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3010, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(262)

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/434.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/753, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा कामधेनु दुर्ग उत्पादक खमरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2976, दिनांक 22 जुलाई, 2008 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये कामधेनु दुर्ग उत्पादक खमरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2976, दिनांक 22 जुलाई, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(262-A)

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/435.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1713, होशंगाबाद, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा संजय गांधी गृह निर्माण वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2128, दिनांक 31 नवम्बर, 1981 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये संजय गांधी गृह निर्माण वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2128, दिनांक 31 नवम्बर, 1981 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(262-B)

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/436.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/752, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था उमरछा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2809, दिनांक 21 अप्रैल, 2009 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था उमरछा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2809, दिनांक 21 अप्रैल, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(262-C)

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/437.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/753, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा पलक बीज उत्पादक क्रय-विक्रय कलकुही, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3051, दिनांक 08 जुलाई, 2010 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये पलक बीज उत्पादक क्रय-विक्रय कलकुही, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3051, दिनांक 08 जुलाई, 2010 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(262-D)

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/438.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/965, होशंगाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक मटकुली, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2372, दिनांक 14 अक्टूबर, 1991 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक मटकुली, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2372, दिनांक 14 अक्टूबर, 1991 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(262-E)

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/439.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/965, होशंगाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था धनासरी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2277, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था धनासरी, पंजीयन क्रमांक 2277, दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(262-F)

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/440.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/965, होशंगाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, रानीगुहान, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2267, दिनांक 10 सितम्बर, 1987 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-

पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था रानीगुहान, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2267, दिनांक 10 सितम्बर, 1987 के निगमित निकाय (कापौरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

के. पाटनकर,  
उप-पंजीयक।

(262-G)

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 17 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/253.—दुराध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुदवास, तहसील बडौद, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक 199, दिनांक 07 सितम्बर, 1981 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/899, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263)

शाजापुर, दिनांक 17 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/248.—दुराध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमल्या, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/137, शाजापुर, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-A)

शाजापुर, दिनांक 17 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/249.—दुराध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीतलानगर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 1048 दिनांक 12 जुलाई, 2011 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/926, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-B)

शाजापुर, दिनांक 17 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/250.- जय भवानी साख सहकारी संस्था मर्या., आगर, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 07 जून, 2006 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/939, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-C)

शाजापुर, दिनांक 17 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/251.- प्रियदर्शिनी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/933, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-D)

शाजापुर, दिनांक 17 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/252.- दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुर, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 18 सितम्बर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/932, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-E)

शाजापुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/274.- दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उद्देपुर, तहसील बडौद, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 01 नवम्बर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/901, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा

प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-F)

शाजापुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/275.- दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालाखेडी (सोयत), तहसील सुसनेर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक 329, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/906, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-G)

शाजापुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/305.- दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अख्यारपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 806, दिनांक 26 मार्च, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/931, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(263-H)

शाजापुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/303.- दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावनहेडा, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 11 मई, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/925, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

आर. के. मालवीय,  
उप-पंजीयक।

(263-I)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015 वैशाख 18, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 जनवरी, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है:-

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), सेवढ़ा, दतिया, भाणडेल (दतिया), बमोरी (गुना) वस्देवनगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, छतरपुर, गौरीहार (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), पाली (उमरिया), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), भानपुरा, मल्हरगढ़, गरोठ, मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, संजीत (मंदसौर), नागदा (उज्जैन), बैरसिया (भोपाल), बिछिया, नैनपुर, मंडला, घुघरी (मंडला), सौंसर, चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव, राजनगर, बिजावर, बकस्खाहा (छतरपुर), पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, बंडा, गढ़ाकोटा, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), मझौली, कुसमी (सीधी), सुबासरा टप्पा, धुन्धड़का (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर (उज्जैन), नेपानगर (बुरहानपुर), सिरोंज, कुरवाई, बासोदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), रायसेन, बेरेली, सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), सीहोरा (जबलपुर), निवास, नारायणगंज (मण्डला), पांदुर्णा, अमरवाड़ा, हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( स ) 35.5 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील गुना, राघोगढ़, आरोन (गुना), निवाड़ी (टीकमगढ़) बड़ामलहरा (छतरपुर), सागर, रहली, देवरी, केसली (सागर), गोपदबनास, सिंहावल (सीधी), तराना, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), खकनार, (बुरहानपुर) लटेरी (विदिशा), गोहरगंज, ऊदयपुरा (रायसेन), शाहपुर (बैतूल), पाटन, जबलपुर, मझौली, कुण्डम (जबलपुर) छिन्दवाड़ा में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील राहतगढ़ (सागर), घटिया (उज्जैन), बुरहानपुर (बुरहानपुर), गैरतगंज, बेंगमगंज (रायसेन), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), जुन्नारदेव, परासिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला अनूपपुर में फसल गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, सागर, उमरिया, खरगौन, जबलपुर, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

#### 4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला बैतूल में फसल गन्ना व डिण्डोरी में राई-सरसों व बुरहानपुर में गन्ना एवं कपास की चुनाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, सतना, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 7 जनवरी, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धन की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असाधारिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अन्वाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रैन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	2.5				
2. डबरा	3.8				
3. भितरवार	3.0				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, मटर अधिक. जौ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	5.0				
2. दतिया	5.0				
3. भाण्डेर	9.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैगा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बद्रवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगवली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	44.9				
2. राधोगढ़	38.0				
3. बमोरी	6.0				
4. आरोन	36.0				
5. चाचौड़ा	33.0				
6. कुम्भराज	27.0				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	41.6				
2. पृथ्वीपुर	33.0				
3. जतारा	30.0				
4. टीकमगढ़	31.0				
5. बल्देवगढ़	7.0				
6. पलेरा	9.0				
7. ओरछा	14.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	12.0				
2. गौरीहार	10.0				
3. नौगांव	26.0				
4. छतरपुर	10.8				
5. राजनगर	20.4				
6. बिजावर	34.0				
7. बड़ामलहरा	36.2				
8. बकस्वाहा	27.0				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, आलू कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	13.4				
2. पन्ना	12.0				
3. गुन्नौर	15.0				
4. पवई	26.0				
5. शाहनगर	26.0				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	21.4				
2. खुरई	29.9				
3. बण्डा	19.2				
4. सागर	38.1				
5. रेहली	42.2				
6. देवरी	43.0				
7. गढ़ाकोटा	17.6				
8. राहतगढ़	55.0				
9. केसली	36.0				
10. मालथोन	18.4				
11. शाहगढ़	25.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों, अलसी, गना सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.  5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक, गेहूँ कम, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई, सरसों अधिक, गेहूँ चना, मसूर, कम, अलसी, जौ, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्वाँथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊांज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकर्णुलियान	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, राहर, गेहूँ कम, रामतिल, अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक, सोयाबीन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	34.6				
2. पाली	8.0				
3. मानपुर	32.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	38.0				
2. सिंहावल	44.0				
3. मझौली	24.6				
4. कुसमी	30.0				
5. चुरहट	17.0				
6. रामपुरानैकिन	11.7				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. . 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	.				
2. देवसर	.				
3. सिंगरौली	.				
<b>जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, चना कम. रायड़ा समान. (2) ..	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	25.6				
2. भानपुरा	12.2				
3. मल्हारगढ़	13.0				
4. गरोठ	11.4				
5. मन्दसौर	12.0				
6. श्यामगढ़	12.0				
7. सीतामऊ	8.6				
8. धुधङ्का	20.0				
9. संजीत	10.0				
10. कथामपुर	.				
<b>*जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	.				
2. नीमच	.				
3. मनासा	.				
<b>*जिला रत्लाम :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. . 8. .
1. जावरा	.				
2. आलोट	.				
3. सैलाना	.				
4. बाजना	.				
5. पिपलौदा	.				
6. रत्लाम	.				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	30.0				
2. महिदपुर	26.0				
3. तराना	50.0				
4. घटिया	60.0				
5. उज्जैन	40.0				
6. बड़नगर	35.8				
7. नागदा	12.0				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . 8. पर्याप्त.
1. बड़ोद	.				
2. सुसनेर	.				
3. नलखेड़ा	.				
4. आगर	.				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	.				
2. शाजापुर	.				
3. शुजालपुर	.				
4. कालापीपल	.				
5. गुलाना	.				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. चना, तुअर, कपास कम. गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, कपास, तुअर, गेहूँ, चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्की	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवरे	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई व गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	57.2				
2. खकनार	37.2				
3. नेपानगर	30.0				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	40.0				
2. सिरोंज	32.0				
3. कुरवाई	20.6				
4. बासौदा	26.2				
5. नटेरन	34.0				
6. विदिशा	24.2				
7. गुलाबगंज	29.0				
8. ग्यारसपुर	31.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	16.1				
2. हुजूर	24.17				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गैहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	34.8				
2. गैरतगंज	92.0				
3. बेगमर्गंज	83.0				
4. गौहरगंज	50.0				
5. बरेली	25.0				
6. सिलवानी	19.3				
7. बाड़ी	28.0				
8. उदयपुरा	35.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गैहूँ मसूर, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	221.8				
2. घोड़ाडोंगरी	62.8				
3. शाहपुर	49.2				
4. चिंचोली	76.4				
5. बैतूल	97.0				
6. मुलताई	81.4				
7. आठनेर	142.1				
8. आमला	58.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गैहूँ चना, मटर, मसूर, तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गैहूँ चना, अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	32.8				
2. पाटन	37.0				
3. जबलपुर	35.5				
4. मझौली	44.2				
5. कुण्डमपुर	39.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गैहूँ जौ, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	.. .. .. .. ..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	25.0 2.7 5.5 8.8 6.5 17.7				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. राई, सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा	.. ..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांढुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. बोलखेड़ा	40.0 59.8 68.0 .. 8.0 31.2 34.6 8.8 2.0 25.0 ..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा	.. .. .. .. .. .. .. ..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	.. .. .. .. .. ..				

टीप.—जिला भिण्ड, शहडोल, रतलाम, देवास, बड़वानी, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।